



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फ़ैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक ५३६ / मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-५

दिनांक : 02.05.2020

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में कार्यरत कर्मिकों, सेवानिवृत्त कर्मिकों, उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेन्शनरों की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित चिकित्सालयों की मान्यता अवधि सम्बन्धित समिति की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुये एतद्वारा निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:-

क्र० सं०	चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान का नाम	मान्यता समाप्ति की अवधि	मान्यता वृद्धि की तिथि	उद्देश्य
1	लखनऊ केन्सर इन्स्टीट्यूट, जियामाऊ, लखनऊ	30.06.2020	01.07.2020 से 31.12.2020 तक	कैंसर रोगों हेतु
2	टाटा मैमोरियल हास्पिटल, मुम्बई	30.06.2020	01.07.2020 से 31.12.2020 तक	कैंसर रोगों हेतु
3	ओपोलो हास्पिटल, नई दिल्ली	30.06.2020	01.07.2020 से 31.12.2020 तक	निर्धारित छः रोगों हेतु
4	इन्द्रप्रस्थ ओपोलो कैंसर हास्पिटल, नई दिल्ली	30.06.2020	01.07.2020 से 31.12.2020 तक	कैंसर रोगों हेतु
5	फॉर्टिस एस्कार्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली	30.06.2020	01.07.2020 से 31.12.2020 तक	हृदय रोगों हेतु (सी०जी०एच०एस० दरों पर)
6	सर गंगा राम हॉस्पिटल, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	30.06.2020	01.07.2020 से 31.12.2020 तक	सभी रोगों हेतु
7	मैट्रो हॉस्पिटल एवं हार्ट इन्स्टीट्यूट, नोएडा	30.06.2020	01.07.2020 से 31.12.2020 तक	सभी रोगों हेतु (हृदय रोगों हेतु कैश-लैस सुविधा)

- मान्यता अवधि में चिकित्सा दरों में सामान्यतः कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, किन्तु यदि चिकित्सा दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव कारपोरेशन को प्राप्त होता है तो उस पर विचार किया जा सकता है किन्तु कोई भी चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान कारपोरेशन की अनुमति के बिना अपनी चिकित्सा दरों में वृद्धि नहीं करेगा।

नोट :-


उत्तराखण्ड राज्य तथा राज्य से बाहर के सभी सरकारी चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान स्वतः मान्यता प्राप्त है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : ५३६ / मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी०-५ तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- निदेशक (वित्त)/परि०एवंअनु०/परियोजना, पिटकुल, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल
- अधिशासी अभियन्ता (सू०प्र०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह आदेश को पिटकुल की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
- समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल
- सम्बन्धित चिकित्सालय।
- सम्बन्धित पत्रावली/कट फाईल।


(पी०सी० ध्यानी)
निदेशक (मा०सं०)